**उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील - राज्य उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग ............**

अपील सं. ......................... सन् ......................

जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील ........................ (स्थान का उल्लेख करें)

**अबक** (वर्णन एवम् निवास स्थान को जोड़ें) ..................... अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

**बनाम**

**कखग** (वर्णन एवम् निवास स्थान को जोड़ें) ..................... प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

सेवा में;

राष्ट्रीय आयोग के आदरणीय अध्यक्ष और उसके साथी सदस्यगण;

श्रीमान जी,

अपीलार्थी/अपीलार्थीगण अति सादर पूर्वक निवेदन करता है

1. यह कि यह अपील सं. ............................................... सन् .......................में राज्य आयोग ... ............................... (स्थान का नाम) दिनांकित ............................................. के आदेश के विरुद्ध धारा 19 के अधीन अपील में है।
2. यह कि अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार आदेश की तारीख से 30 दिनों के अन्दर दाखिल की जा रही है।

**या**

यह कि यह अपील 30 दिनों की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् दाखिल की जा रही है कारण कि यह विलम्ब के दोबमार्जन के लिए इस अपील के साथ-साथ आवेदन पत्र में विहित कालावधि के अन्दर नहीं दाखिल किया जा सकता था। कथित आवेदनपत्र एक शपथपत्र के साथ विवादित बनाया जाता है।

1. जिसके विरुद्ध अपील की गयी उस पर आक्षेप के आधार संक्षिप्त तौर पर उपवर्णित । जा सकेगा और किसी करार या कथन के बिना पृथक शीर्षों के अधीन ऐसे आदेश की क्रमशः संख्यांकित किया जाना होता है।
2. दावाकृत अनुतोष/अनुतोषों के ब्यौरे सहित प्रार्थना का कथन किया जाना होता है।

स्थान अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

तारीख

व्यक्तिगत तौर पर या काउन्सिल के जरिये।